398

संख्या– /XVIII-(2)/2014–13(9)/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनःदिनांक 18 दिसम्बर, 2015**

विषयः– राज्य में शीतलहरी के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने तथा निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहीन व्यक्तियों को ठण्ड के प्रकोप से बचाने हेतु निःशुल्क कम्बल वितरण सार्वजनिक स्थानों जैसे–धर्मशाला, रैनबसेरा, मुसाफिर खाना, पड़ाव, सराय, चौराहा, रेल एवं बस स्टेशनों आदि पर अलाव जलाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), नई दिल्ली के पत्र संख्या–32-3/2010-NDM-I, दिनांक 13 अगस्त, 2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों में SDRF/NDRF से सहायता हेतु प्रचंड शीतलहरी को अधिसूचित आपदा माने जाने हेतु निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः–

किसी क्षेत्र को प्रचंड शीतलहरी से ग्रस्त माना जायेगा–

1– क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सै. से कम हो जबकि सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सै. या उससे अधिक हो।

2– क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सै. से कम हो जबकि सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सै. से कम हो।

2– उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के क्रम में शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहीन व्यक्तियों के बचाव के लिये सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने तथा निःशुल्क कम्बल वितरण कराये जाने हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार जनपदों को कुल ₹ 45.00 लाख (₹ पैतालीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने व व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), नई दिल्ली के पत्र संख्या–32-3/2010-NDM-I,

दिनांक 13 अगस्त, 2012 में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (**प्रति संलग्न**)।

2– निराश्रितों को सम्भावित शीतलहरी के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि अलाव जलाने का चयन ऐसे स्थानों पर किया जाए जहां अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग, जनता खुले आसमान के नीचे निवास करते हो या एकत्र होते हों, उदाहरणार्थ धर्मशालायें, रैन बसेरा, मुसाफिर खाना, पड़ाव सराय, चौराहा, रेल/बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान। इसे साथ ही निशुल्क कम्बल बॉटने की व्यवस्था भी की जाए एवं इस हेतु कम्बल नियमानुसार क्रय किये जाए और उसमें गांधी आश्रम आदि संस्थाओं को वरीयता दी जाय।

3– शीतलहरी के प्रभाव से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना एवं उसके सम्बन्ध में दी गई राहत सहायता आदि के विवरण तुरन्त ही फैक्स, ई–मेल आदि माध्यमों से शासन को उपलब्ध करायी जाए और शीतऋतु की समाप्ति अर्थात 20 फरवरी, 2016 तक इस सम्बन्ध में मासिक विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– समाचार पत्रों में शीतलहरी से मृत्यु की सूचना यदाकदा प्रकाशित होती है ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच कर जानकारी तुरन्त ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाये तो उनका खण्डन समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराया जाय। शीतलहरी/पाले से उत्पन्न होने वाले प्रकोप से बचाव संबन्धी अपनाये गये उपायों व किये गये राहत कार्यों की जानकारी समय–समय पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित भी करायी जाय।

3– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर– 800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.–176 NP/XXVII(5)/2015-16, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(2)

संख्या– 4105 /XVIII-(2)/2015-13(9)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– निदेशक, कोषागार, 24, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव